उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिनांक अप्रैल 20, 2010 को सम्पन्न हुई 12वीं बोर्ड बैठक का कार्यवृत्त

उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की 12वीं बैठक दिनांक 20.04.10 को पूर्वाहन् 11:00 बजे सचिवालय स्थित एफ0आर0डी0सी0 सभागार में अध्यक्ष, यूईपीपीसीबी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्न उपस्थित थे –

1. श्री सुभाष कुमार, अध्यक्ष, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
2. श्री आर0के0 सुधांशु , उपाध्यक्ष, एम0डी0डी0ए0, देहरादून।
3. श्री शमसूदीन, अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, काशीपुर, उत्तराखण्ड।
4. श्रीमती हेमलता ढौंडियाल, अपर सचिव उद्योग, उत्तराखण्ड शासन।
5. श्री पंकज गुप्ता, अध्यक्ष, इण्डस्ट्रीज एसोशियेसन, उत्तराखण्ड।
6. श्री बी0एल0 आर्य, नगर पालिका परिषद, हरिद्वार।
7. डा0 अजय गैरोला, सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

सर्वप्रथम सदस्य सचिव यू0ई0पी0पी0सी0बी0 द्वारा बोर्ड के सदस्यों का स्वागत किया गया, तदोपरान्त अध्यक्ष महोदय के अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। बोर्ड बैठक में प्रस्तावित कार्यसूची के बिन्दुओं पर विचार–विमर्श कर सर्वसम्मत से निम्नलिखित निर्णय लिये गये।

कार्य **सूची संख्या 12.1**

बोर्ड की 11वीं बैठक दिनांक 21.10.09 के कार्यवृत्त की पुष्टि।

बोर्ड के सदस्यों द्वारा ग्यारवीं बोर्ड बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

कार्य **सूची संख्या 12.2 -**

बोर्ड की 11 वीं बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।

उक्त बिन्दु पर निम्न निर्णय लिये गये –

1. बोर्ड के ग्यारवीं बैठक के निर्णयों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। शासन स्तर पर लम्बित प्रकरणों को बोर्ड द्वारा शासन स्तर पर प्रस्तुत किया जाये।
2. जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत राज्य प्रयोगशाला अधिसूचित किये जाने हेतु शासन स्तर पर कार्यवाही हेतु प्रयास किये जाये।
3. वन एवं ग्राम्य विकास आयुक्त की अध्यक्षता में पूर्व से गठित टास्क फोर्स जिसमें पर्यावरण, परिवहन विभाग एवं अन्य विभाग है, को पुनः क्रियान्वित किया जाये।
4. उद्योगों को जल व वायु सहमति निर्गमन करने के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि बोर्ड के द्वारा अनुमोदित उद्योगों की श्रेणीवार सहमति निर्गमन हेतु अवधि के संबध में परीक्षण किया जाये तथा उक्त के संबंध में आगामी बोर्ड बैठक में कारणों को स्पष्ट करते हुए तथा उसके समाधान के उपरान्त प्रस्ताव प्रेषित किया जाये।

कार्य सूची संख्या 12.3

बोर्ड की वित्तीय वर्ष 2010–11 के बजट अनुमोदन के संबंध में।

बोर्ड द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

कार्य सूची संख्या 12.4

बोर्ड कार्मिको को चिकित्सा प्रतिपूर्ति भत्ता लागू किये जाने के संबंध में।

बोर्ड द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया तथा इस आशय के साथ अनुमोदित किया गया कि शासनसदेश के अनुसार रू0 40,000/– तक कि चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु स्वीकृति अधिकारी सदस्य सचिव तथा रू 40,000/– से 1 लाख तक बोर्ड के अध्यक्ष तथा एक लाख से ऊपर के प्रतिपूर्ति हेतु प्रस्ताव बोर्ड में प्रेषित किया जाये।

कार्य सूची संख्या 12.5

अर्न्तराज्यीय सीमाओं पर नदियों के जल गुणवत्ता के अनुश्रवण केन्द्र स्थापित किये जाने के संबंध में।

बोर्ड द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से वित्त पोषित परियोजना "राष्ट्रीय नदी अनुश्रवण कार्यक्रम" के अन्तर्गत नदियों के अनुश्रवण की प्रकिया के अनुसार ही नदियों के अनुश्रवण का कार्य किया जायें।

कार्य सूची संख्या 12.6

बोर्ड में Environment Surveillance Squad (ई0एस0एस0) प्रकोष्ठ गठन किये जाने के संबंध में।

बोर्ड द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि जल एव वायु अधिनियमों के अन्तर्गत बोर्ड के पास पर्याप्त शक्तियां है। अतः बोर्ड अपने स्तर पर अधिनियमों के अनुसार उद्योगों के अनुश्रवण एवं अनुपालन की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

कार्य सूची संख्या 12.7

बोर्ड कार्मिकों को टेलीफोन भत्ता बढ़ाये जाने के संबंध में।

बोर्ड द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि अधिकारियों एवं कार्मिकों को टेलीफोन भत्ता पूर्व में लिये गये निर्णयों के अनुसार ही दिया जाये।

कार्य सूची संख्या 12.8

सक्षम स्तर से सभी प्रकरणों पर अनुमोदन के उपरान्त सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा पत्र निर्गत किये जाने के संबंध में।

बोर्ड द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया तथा प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

कार्य सूची संख्या 12.9

राज्य में ठोस अपशिष्टों, प्लास्टिक अपशिष्टों एवं अन्य पर्यावरणीय प्रदूषण के संबंध में प्रचार–प्रसार एवं स्कूलों में इको–क्लब के माध्यम से प्रचार–प्रसार के संबंध में।

बोर्ड द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया बोर्ड सदस्य श्री पंकज गुप्ता द्वारा सुझाव दिया गया कि राज्य के इण्डस्ट्री एसोशियेशन को भी उपरोक्त जन जागरूकता कार्यक्रम में सम्मलित किया जाये तथा

यह भी निर्णय लिया गया कि चार धामों में बोर्ड अपने संसाधनों से पर्यावरण जन जागरूकता आदि का कार्य किया जायेगा।

कार्य सूची संख्या 12.10

क्षेत्रीय अधिकारी एवं प्रथम श्रेणी अधिकारियों को रू0 15000/– तक की वित्तीय स्वीकृति के अधिकार दिये जाने के संबंध में।

बोर्ड द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया तथा प्रस्ताव का Procurment Rules के अनुसार अनुमोदित किया गया।

कार्य सूची संख्या 12.11

बोर्ड कार्मिकों हेतु ग्रेज्यूटी स्कीम के संबंध में।

बोर्ड द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया तथा प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। बोर्ड में वित्त नियंत्रक आवद्व होने पर उक्त का परीक्षण कर लिया जाये।

कार्य सूची संख्या 12.12

परिसंकटमय अपशिष्ट प्राधिकार हेतु शुल्क लागू किये जाने के संबंध में।

बोर्ड द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया तथा प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

कार्य सूची संख्या 12.13

बोर्ड कार्मिकों को छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के कम में पुनरीक्षित वेतनमान दिये जाने के संबंध में।

बोर्ड द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि शासन से अनुमोदन के उपरान्त ही कार्मिको को छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के कम में पूनरीक्षित वेतन दिया जाये।
अन्य बिन्दुओं में बोर्ड के ढाचें के संबंध में कार्मिकों के प्रत्यावेदन पर समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु निर्णय लिया जाये।

(डा0 अजय गैरोला)
सदस्य सचिव
उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण
एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून

(सुभाष कुमार)
अध्यक्ष
उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण
एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून